कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/11/2022/252

दिनांक : 12/01/2024

संशोधित आदेश

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को पूर्व में उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को एसीपी के फलस्वरूप संबंधित न्यायक्षेत्र, जिसका उल्लेख तालिका के कॉलम सं0 03 में किया गया हैं, के द्वारा तत्समय नियमों के अन्तर्गत वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, को राज्य सरकार के वित विभाग के द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक F.14(88)FD/Rules/2008 दिनांकित 27.02.2022 एवं एक अन्य आदेश क्रमांक प.15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांक 30 मई 2022 के अनुसरण में कॉलम A में व F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं उक्त आदेश के स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के अनुसरण में कॉलम B में एतत् द्वारा उक्त वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता हैं:–

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान/एसीपी अथवा पदोन्नति का विवरण		चयनित वेतनमान/ए.सी.पी अथवा पदोन्नति की दिनांक से पूर्व प्राप्त मूल वेतन एवं पे–लेवल	विघमान पे–लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	**A** राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक **F.14(88)FD/Rules/2008** दिनांकित 27.02.2022 एवं प15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांक 30 मई 2022 के अनुसार		**B** राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक **F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023** एवं स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के अनुसार	लिपिक ग्रेड–II के पदोन्नत पद पर शेट्ठी आयोग केतहत एक अतिरिक्त वेतनवृद्वि स्वीकृत करने पर मूल वेतन व पे–लेवल	आगामी वेतन वृद्वि की दिनांक
		न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	देय दिनांक व उक्त दिनांक को वेतनस्थिरीकरण पर मूलवेतन			देय एसीपी में वेतन स्थिरीकरण की दिनांक व आगामी पे–लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन	उक्तानुसार संशोधित मूलवेतन की अन्तर राशि जो व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय हैं। (कॉलम सं0 4–7)	देय एसीपी/पदोन्नति में वेतन स्थिरीकरण की दिनांक व आगामी पे–लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1.	**श्री दिनेश कुमार गौतम,** लिपिक ग्रेड–II, विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, क्रम सं0 02, जयपुर महानगर–II प्र. नियुक्ति दि. 16.02.2002 च.श्रेक.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–I स्था/72/2017/575 दि. 29.01.2021	16.10.2020 (18 वर्ष) 32400/– (L-06)	16.10.2020 (18 वर्ष) 31400/– (L-05)	32300/– (L-05)	16.10.2020(18 वर्ष) 32300/– (L-08)	100/–	16.10.2020 (18 वर्ष) 33300/– (L-08)	—	01.07.2021
2.	**श्री मूलचन्द यादव,** वाहन चालक, जिला न्यायालय,जयपुर महानगर–II प्र. नि. दि. 27.11.2002 वा.चालक	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–II स्था/35/2021/2607 दि. 29.01.2021	28.11.2020 (18 वर्ष) 38000/– (L-10)	—	—	—	—	अधिसूचना के अनुसार वेतनस्थिरीकरण में कोई बदलाव नहीं होने के कारण पूर्व में 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी दिनांक 28.11.2020 को किया गया वेतनस्थिरीकरण यथावत रहेगा।	—	—

-2-

-sd-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

<u>नोटः–</u>

(1.) **<u>उपरोक्त तालिका में कॉलम A के अनुसार *श्री दिनेश कुमार गौतम* के वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में निम्नानुसार बिन्दूओं की पालना की जावें:–</u>**

- उपरोक्त तालिका में उल्लेखित अनुसार श्री गौतम को राज्य सरकार के वित विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांकित 27.02.2022 व दिनांकित 30.05.2022 के अनुसार संशोधित वेतनस्थिरीकरण पर मूल वेतन की अन्तर राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में कॉलम सं0 08 के अनुसार देय होगी तथा यह व्यक्तिगत वेतन उक्त कर्मचारी को दिनांक 01.07.2022 को स्वीकृत की जाने वाली वार्षिक वेतनवृद्वि की राशि से समायोजित किया जावेंगी।
- उपरोक्तानुसार राज्य सरकार के वित विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांकित 27.02.2022 व दिनांकित 30 मई 2022 के अनुसार व्यक्तिगत वेतन पर मंहगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होने के कारण दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 27.02.2022 के मध्य पूर्व में स्वीकृत की गई एसीपी की तिथि से दिनांक 27.02.2022 तक भुगतान किये जा चुके मंहगाई भत्ते व मकान किराये भत्ते की राशि वसूलनीय नहीं होगी तथा दिनांक 28.02.2022 से अधिक आहरित किये गये मंहगाई भत्ते तथा मकान किराये भत्ते की एवं आगामी वेतनवृद्वि दिनांक 01.07.2022 व 01.07.2023 को स्वीकृत वेतनवृद्वि के कारण अधिक भुगतान की राशि नियमानुसार वसूल की जाकर राजकोष में जमा करवायी जावेंगी एवं उक्त वसूली का कर्मचारी के सेवा अभिलेख में नियमानुसार इन्द्राज भी किया जावेगा, जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जावेंगी।

(2.) **<u>उपरोक्त तालिका में कॉलम B के अनुसार *श्री दिनेश कुमार गौतम* के वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में निम्नानुसार बिन्दूओं की पालना की जावें:–</u>**

- प्रथमतः कॉलम A की पूर्ति की जावेंगी।
- तत्पश्चात् उपरोक्त तालिका में उल्लेखित अनुसार श्री गौतम को राज्य सरकार के वित विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश दिनांकित 26.07.2023 व 01.08.2023 के अनुसार एसीपी/पदोन्नति की दिनांक को उनके नाम के सम्मुख उक्त अधिसूचना के अनुसार कॉलम B में वेतनस्थिरीकरण नियमानुसार देय तिथि को संशोधित किया जाता हैं, उक्त अधिसूचना अनुसार कॉलम B में संशोधित वेतनस्थिरीकरण किये जाने पर देय दिनांक से आगामी वेतनवृद्वियों को संशोधित/स्वीकृत करते हुए दिनांक 31.03.2023 तक का कोई एरियर कर्मचारी को देय नहीं होगा।

(3.) उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावें।

-sd-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/11/2022/ 260

दिनांक : 18/01/2024

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय .... जयपुर महानगर–द्वितीय।(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. संबंधित कर्मचारी ....।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय